प्री समिट में 50 हजार करोड़ से अधिक के होंगे एम.ओ.यू. : टी. रविकान्त

जयपुर। माइंस विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने बताया है कि 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित माइंस व पेट्रोलियम सेक्टर के राइजिंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट के प्री समिट में 50 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के एमओयू हस्ताक्षिरत कराये जाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट में अब तक आयोजित रोड़ शो आदि में माइनिंग सेक्टर के 44721 करोड़ रु. से अधिक के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षिरत हो चुके हैं।

प्रमुख सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त मंगलवार को खनिज भवन में राइजिंग राजस्थान के तहत माइंस व पेट्रोलियम सेक्टर के 8 नवंबर को होने वाले प्री समिट की तैयारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे।

- राइजिंग राजस्थान रोड़ शो आदि में अब तक माइनिंग सेक्टर के 44721 करोड़ के एम.ओ.यू. संपन्न
- प्री समिट निवेश प्रस्तावों पर एम.ओ.यू. के साथ ही होगा बहुआयामी

प्रमुख सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त मंगलवार को खनिज भवन में राइजिंग राजस्थान के तहत माइंस व पेट्रोलियम सेक्टर के 8 नवंबर को होने वाले प्री समिट की तैयारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य का माइनिंग सेक्टर निवेश, रोजगार और राजस्व की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि माइनिंग सेक्टर के स्थानीय स्तर पर और अधिक निवेश लाने के प्रयास किये जाएं ताकि 8 नवंबर को आयोजित प्री समिट में माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर से और अधिक निवेश प्रस्तावों के एमओयू हस्ताक्षिरत हो सके। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान प्री समिट के माध्यम से राजस्थान की खनिज संपदा और खनन क्षेत्र की संभावनाओं से प्री समिट में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के साथ ही देश दुनिया के माइनिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को रुबरु कराया जाएगा।

टी. रविकान्त ने बताया कि विभाग द्वारा आयोजित प्री समिट को थीम बेस्ड रखा गया है। प्री समिट में माइनिंग सेक्टर से जुड़े एसोसिएशनों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही केन्द्र व राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, निजी क्षेत्र के निवेशकों और प्रदेश और देश के एकेडेमिशिएंस को भी जोड़ा जाएगा ताकि प्री समिट बहुआयामी व अधिक उपादेय हो सके।

संयुक्त सचिव माइंस आशु चौधरी ने राइजिंग राजस्थान प्री समिट की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों की टीम बनाकर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है।

बैठक में समन्वयक अधिकारी बीएस सोढ़ा ने बताया कि राइजिंग राजस्थान प्री समिट के लिए एमओयू प्रस्तावों के लिए संबंधित निवेशकों से संपर्क व समन्वय बनाया जा चुका है। प्रभारी अधिकारियों में अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम अजय शर्मा ने प्रचार-प्रसार सामग्री की तैयारी, एडीजी आलोक जैन ने विशेषज्ञों से समन्वय, एसएमई प्रताप मीणा ने आंमत्रितों से समन्वय की जानकारी दी। एमडी आरएसजीएल रणवीर सिंह ने बताया कि अन्य के साथ ही आरएसजीएल द्वारा सीएनजी पीएनजी गतिविधियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा।

बैठक में एसजी सुनील वर्मा, संजय सक्सैना, आरएसएमएम के असीम अग्रवाल, फिक्की के गिरिश गुप्ता व वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने मंगलवार को जयपुर एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लौटने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी।

राज्य में पहली बार भर्ती कैलेंडर जारी कर भजनलाल शर्मा ने उठाया ऐतिहासिक कदम : राजेंद्र राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर संवेदनशील और गंभीर है। भाजपा ने युवाओं से जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के इतिहास में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। भर्ती कैलेंडर में 70 प्रतियोगी परीक्षाओं की दिनांक और उनका परिणाम जारी करने तक की दिनांक जारी कर दी गई है।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनके सपने को साकार करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख लोगों को स्किल के साथ रोजगार देने का वादा किया था। भाजपा जो कहती है, वो करती है के लिए संकल्पबद्ध है, इसलिए मुख्यमंत्री शर्मा ने दिसंबर 2024 तक 1 लाख 11 हजार से ज्यादा विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति देने के लिए विज्ञिप्तयां जारी कर दी है। राठौड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार है जिसने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड किया और प्रदेश में 17 पेपर लीक, 8 परीक्षाएं रद्द कर करीबन 50 हजार पदों को निरस्त कर दिया गया।

राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का भर्ती कैलेंडर जारी करने का पिछली सरकार ने सोचा तक नहीं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो साल से अधिक समय का भर्ती कैलेंडर जारी भी कर दिया। शर्मा ने युवाओं के भरोसे को जितने के लिए पहले पेपरलीक माफियाओं को सलाखों तक पहुंचाने के लिए एसआईटी का गठन किया और फिर महज 10 माह में 180 पेपरलीक माफियाओं को गिरफ्तार कर अपनी मंशा जाहिर की।

भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाते हुए भर्ती कैलेंडर जारी करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। भाजपा विधायक प्रत्याशी उपेन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं के भविष्य को लेकर संवेदनशील है ऐसे में सीएम शर्मा का प्रयास है कि सही समय पर पारदर्शी रूप से प्रतियोगी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाए।

आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 62 साल ही रहेगी : सुप्रीम कोर्ट

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 60 साल से दो साल बढाकर 62 साल करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के 13 जुलाई 2022 के फैसले को सही ठहराने वाले अपने 30 जनवरी 2024 के फैसले को बरकरार रखा है। वहीं अदालत ने इस संबंध में दायर राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।

- राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज

मामले से जुडे अधिवक्ता नितेश कुमार गर्ग ने बताया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की एसएलपी भी खारिज कर दी थी। एसएलपी खारिज करने के फैसले के खिलाफ ही राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर पूर्व के फैसले पर पुनर्विचार करने का अदालत से आग्रह किया था। दरअसल हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल की थी। इस आदेश को राज्य सरकार की ओर से चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी दायर की थी। एसएलपी में कहा गया था कि एलोपैथी डॉक्टर्स व आयुर्वेद डॉक्टर्स का कार्यक्षेत्र अलग-अलग है। एलोपैथी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु दो साल बढाना राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय था। ऐसा एलोपैथी डॉक्टर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया था। इसलिए एलोपैथी डॉक्टर्स की तरह आयुर्वेद डॉक्टर्स की आयु 60 साल से बढाकर 62 साल करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए।

इसके जवाब में आयुर्वेद डॉक्टर्स का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी बनाम डॉ. रामनरेश मामले में आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 62 साल करने की मंजूरी दी है। इसलिए आयुर्वेद डॉक्टर्स की रिटायरमेंट आयु 60 से बढाकर 62 साल करने का हाईकोर्ट का फैसला सही है।

पायलट मराठवाड़ा का जिम्मा संभालेंगे

जयपुर। कांग्रेस आलाकमान ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस के दो बड़े नेताओं सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई और कोंकण डिवीजन में बतौर सीनियर ऑब्जर्वर पार्टी के चुनावी अभियान की कमान संभालेंगे। जबकि सचिन पायलट मराठवाड़ा में पार्टी के चुनावी अभियान की रणनीति तय करेंगे।

- गहलोत को मुंबई और कोंकण का दायित्व दिया

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आदेश के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर महाराष्ट्र चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर और स्टेट इलेक्शन को-ऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी तय की गई है। केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूची के अनुसार, मुंबई और कोंकण डिवीजन के लिए अशोक गहलोत और डॉ जी परमेश्वर को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। विदर्भ डिवीजन के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उमंग सिंगार को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है।

राज्यवर्धन राठौड़ ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की

जयपुर। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को नई दिल्ले में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत में राइजिंग राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका, प्रगति और विकास के मुद्दों पर चर्चा की।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने हरदीप पुरी के साथ बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल पार्क और राजस्थान में पेट्रो जोन विकसित कर निवेश की अनेक संभावनाओं पर सकारात्मक विचार विमर्श किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने केंद्रीय मंत्री से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक निवेश करने और आर्थिक विकास को गति देने पर चर्चा की।

विधानसभा के अक्टूबर माह के विद्युत बिल में पेनल्टी शून्य

जयपुर। विधानसभा में अक्टूबर माह के बिजली के बिल में विद्युत पेनल्टी शून्य होने से विद्युत खर्च की राशि में कमी आई है। इससे विद्युत खर्च का बिल निर्धारित सीमा में आने पर विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संतोष व्यक्त किया है।

- अगस्त माह के विद्युत बिल में पेनल्टी आने पर देवनानी ने जताई थी नाराजगी

देवनानी के निर्देश पर गत दो माह से आदर्श पॉवर फैक्टर संधारित करने के लिये की गई सतत निगरानी से विद्युत खर्च के नियंत्रण करने के प्रयासों से सकारात्मक परिणाम आये है। इससे अक्टूबर माह के बिल में पेनल्टी शून्य आयी है। गत अगस्त माह में विधान सभा में पॉवर फैक्टर संधारित नहीं होने से विद्युत बिल में पेनल्टी लगने से विद्युत खर्च का बिल अधिक राशि का प्राप्त हुआ था। इस पर विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नाराजगी व्यक्त की थी। देवनानी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों को एक बैठक में विधान सभा में उत्पादित विद्युत के गुणवत्तापूर्ण एवं अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ आदर्श पॉवर फैक्टर को संधारित करने के लिए निरन्तर निगरानी रखने के लिये निर्देश दिये थे।

देवनानी ने राजस्थान विधानसभा के गत माहों में विद्युत का अधिक राशि का बिल आने पर चिंता प्रकट करते हुए अधिकारियों को विद्युत खर्चे के बिलों की गहराई से जांच करने और संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने के साथ पेनल्टी की राशि उससे पुनर्भरण करने के निर्देश दिये थे। श्री देवनानी ने भविष्य में विद्युत खर्चे पर मॉनिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए थे। श्री देवनानी ने कहा था कि विधानसभा में स्थापित 33 के वी ग्रिड में आदर्श पावर फैक्टर को बनाए रखने के हर संभव प्रयास किए जाएं।

देवनानी ने विधानसभा में सौर ऊर्जा की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिये थे। उन्होने उत्पादित विद्युत के विधान सभा में गुणवत्तापूर्ण प्रसारण को सुनिश्चित करने के साथ इसके न्यूनतम क्षरण पर लगातार पर्यवक्षण की आवश्यकता बताई थी। देवनानी ने विधान सभा में आवश्यकता के अनुसार ही बिजली के उपयोग किये जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी बिजली के सदुपयोग पर जागरुकता का परिचय दें।

बीमा कंपनी को कार की बीमित राशि देनी होगी

जयपुर। जिले की स्थाई लोक अदालत ने कार सही नहीं होने को टोटल लॉस बताकर प्रार्थिया के पक्ष में फैसला देते हुए बीमा कंपनी को कार की बीमित राशि 6,39,989 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित प्रार्थिया को देने का आदेश दिया है। लोक अदालत के अध्यक्ष अनूप कुमार सक्सैना, सदस्य दीपक चाचान व सुनीता रांका ने यह आदेश झोटवाड़ा निवासी एक्विलिन के प्रार्थना पत्र पर दिए। अदालत ने कहा कि बीमा कंपनी की लापरवाही से प्रार्थिया की कार चलने योग्य नहीं हो सकी। एक साल से वह कंपनी के वर्कशॉप में ही खड़ी हुई है। कार कंपनी के मैकेनिक ने गियर बॉक्स बदलने के लिए कहा था, लेकिन बीमा कंपनी के विशेषज्ञ ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उसे रिपेयर करने के लिए कहा। उन्होंने उसे रिपेयर कर दिया, लेकिन कार चलने योग्य नहीं रही।

- जिले की स्थाई लोक अदालत ने कार सही नहीं होने को टोटल लॉस बताया

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि 29 जनवरी 2023 को उसकी कार का डिवाइडर से टकराकर एक्सीडेंट हो गया। उसने कंपनी के वर्कशॉप पर दिखाया तो मैकेनिक ने पूरा गियर बॉक्स बदलने के लिए कहा। उसने बीमा कंपनी को भी इसकी सूचना दे दी थी। बीमा कंपनी ने मैकेनिक की सलाह नहीं मानी व गियर बॉक्स को ही रिपेयर करवा दिया। इसके बावजूद भी कार नहीं चली और वर्कशॉप में ही एक साल तक खड़ी रही। इसे प्रार्थिया ने स्थाई लोक अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि कार चलने योग्य नहीं है और यह टोटल लॉस है, इसलिए कार की बीमित राशि ब्याज सहित दिलवाई जाए। इसके जवाब में बीमा कंपनी ने कहा कि कार को चालू करने की जिम्मेदारी मैकेनिक की थी और उन्होंने पार्टस लगाए हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ऐसे में प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। अदालत ने परिवादी को बीमा राशि देने को कहा है।

तीये की बैठक

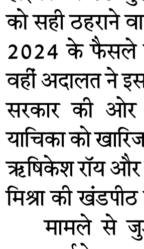

हमारी पूज्यनीया श्रीमति पुष्पा काला धर्मपत्नी स्वर्गीय बाबूलाल जी काला का स्वर्गवास 15.10.2024 को हो गया है। तीये की बैठक 17.10.2024 को प्रात 9 बजे जैन भवन, भट्टारक जी की नसिया जयपुर पर होगी। तत्पश्चात घड़ियों का दस्तूर होगा।

शोकाकुल- वीरेन्द्र (जेठ), अशोक, पदम (देवर), रानी रारा (ननद), मनोज-रितु, मुकेश-सपना (पुत्र-पुत्रवधू), मीनू-पंकज लुहाड़िया (पुत्री-दामाद), अनिल, उमेश, प्रदीप, प्रवीण, अमित (भतीजे), मेहुल, मधुर, पूर्वी (पौत्र-पौत्री), साक्षी-गौरव, मेघा-आय, श्वेता-प्रवेश (दोहिती जवाई), सक्षम (दोहिता) आराध्या (पड़ दोहिती) एवं समस्त काला परिवार पीहर-पूनम चंद, महावीर (चाचा) जितेन्द्र, दिलीप भाई

नम्बर मिलाइए 9587884433

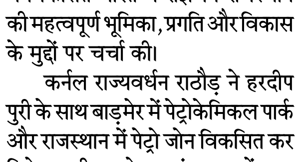

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मैं राम अवतार छीपा पुत्र श्री मूलचन्द छीपा निवासी 40 कल्याणपुरा न्यू सांगानेर रोड, सोडाला जयपुर मेरा प्लाट 107 शिवाजी छत्रपति स्कीप बाबा आर.एन. गौड गृह निर्माण सहकारी समिति लि. प्लाट के कागज कहीं पर खो गये है। कृपा मिलने पर सूचित करें-9414455160

गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना मोती नगर के प्लाट नं. 505, 506 की समिति से जारी मूल सोसाइटी रसीद जे.डी.ए. परिसर में कहीं गुम हो गयी है सूचित करें-गोपाल सिंह वर्मा मो-8769694618

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम सोनल गिर्राज गुप्ता से बदलकर सोनल गुप्ता कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पता-113/351 अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

मैंने अपना नाम राहुल पुरूषोत्तम प्रकाश गुप्ता से बदलकर राहुल कुमार गुप्ता कर लिया है। अत भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पता-113/351 अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

मेरा नाम मिल्केश्वर वर्मा पुत्र श्री निरंजन लाल है जिसको बदलकर मैंने अपना नाम शशांक सिंह पुत्र श्री निरंजन लाल रख लिया है, मुझे भविष्य में शशांक सिंह पुत्र श्री निरंजन लाल के नाम से ही जाना पहचाना जावें।

I have changed my name from Rekha Pradeep khanchandani to Rekha Khanchandani W/o Pradeep Khanchandani for all future purpose. R/o 212-B, Sindhi Colony, Banipark, Jaipur.

I supiar kaur legally wedded spouse of service no. 236138K Ex Sub Hony LT bhanwar singh R/o 1 Kamal niwas green park E nangal jaisa bohra jaipur that I have changed my name From Supiar Kaur is wrong entered in service record To Supyar Kanwar (DOB 04.05.1960) vide affidavit dated 11 Oct. 24 before district notary Jaipur.

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या बैंक भारतीय स्टेट बैंक में श्री अजय जैन पुत्र श्री आनन्द जैन ने मकान संख्या 55/45, मानसरोवर, जयपुर पर बंधक ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। उक्त सम्पत्ति का मूल आवंटन पत्र क्रमांक 1890 दिनांक 30.04.1993 मूल सर्टिफिकेट फोर हेन्डिग ओवर दिनांक 10.08.1993 एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 1084 दिनांक 18.07.1995 खो गया है जिसकी गुमशुदगी रिर्पोट जरिये एलआर नं. 2189482/2024 दिनांक 06.05.2024 को दर्ज करवाई गई है। कृपा मिलने पर सम्पर्क करें एवं उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व एवं मालिकाना हक के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक या अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में मय दस्तावेज सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद सभी आपत्तियां शून्य, अप्रभावी व अमान्य समझी जावेगी।
(परमेन्द्र सिंह), एडवोकेट, मो. 9982724242

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल अब्दुल रज्जाक पुत्र नूर मोहम्मद निवासी 1/122 वन विहार कॉलोनी, दिल्ली बाईपास, ईदगाह जयपुर का पुत्र अलीमुद्दीन व उसकी धर्मपत्नि श्रीमति जरीना मेरे मुवक्किल की कोई देरो व सार संभाल नहीं करते है तथा ााना भी नहीं देते है इसके विपरीत मेरे मुवक्किल के साथ गाली-गलौच वमारपीट करते है एवं दुर्व्यवहार करते है इसलिए मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र अलीमुद्दीन व पुत्रवधु श्रीमति जरीना को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों से बेदाल कर तालुक्कात त्म कर दिए है आज के पश्चात मेरे मुवक्किल के पुत्र अलीमुद्दीन व उसकी पुत्रवधु जरीना से कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा कोई इन दोनों से मेरे मुवक्किल के भरोसे लेन-देन ना करें और ना ही कोई व्यवहार रखे। अतः सूचित रहे।
(फिरोज हुसैन), एडवोकेट, मो.नं. 9314443782

आम सूचना/सार्वजनिक सूचना/बेदाली नोटिस
सभी को सूचित किया जाता है मेरे अभिभाष्य रामलाल धानका पुत्र स्व. श्री रामनारायण उम्र 65 वर्ष, जाति धानका, निवासी-मकान नम्बर 278, लालकोठी योजना, जेडीए फ्लेट्स के पास, टोंक रोडद्ध जयपुर राजस्थान ने अपने पुत्र गुड्डू कायत, पौत्र तरुण धानका उर्फ सन्नी तथा पुत्रवधु मीनू देवी को उनके गलत चाल चलन व व्यवहार तथा मारपीट, गाली गलौच करने के कारण हमेशा के लिये अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पतियों 1. प्लॉट नम्बर 27, अनिता कॉलोनी-बी, मंगलम आनन्दा सिटी के पास, हाज्यावाला, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गगज दो मंजिला बना हुआ, 2. एक प्लॉट स्थित लालकोठी, जयपुर क्षेत्रफल 50 वर्गगज, 3. प्लॉट स्थित श्याम नगर, रातखेडा स्कीम, कासेल रोड, बगरू, जयपुर राजस्थान क्षेत्रफल 100 वर्गगज से वेदखल कर दिया है। मेरे अभिभाष्य का उपरोक्त तीनों से अब कोई संबंध व नाता नहीं है। तथा मेरे अभिभाष्य के किसी भी चल व अचल सम्पत्तियों से किसी प्रकार का गुड्डू कायत, तरुण धानका उर्फ सन्नी, मीनू देवी का कोई हक व अधिकार नहीं होगा। जो भी व्यक्ति उनसे किसी भी प्रकार का लेन देन, संव्यहार करेगा वह व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार होगा। सूचित रहे।
(निरंजन कुमार रईसवाल), एडवोकेट मोबाइल नम्बर 9079866943

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई-निविदा सूचना
व.मं.बि.इंजी.(टीआरडी एण्ड जीएसयू), उ.प.रे., जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कोई भी मैन्युअल टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा और अगर कोई मैन्युअल टेण्डर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। **क्र.सं. 1. एनआईटी संख्या** : ईएल-जीएसयू-जेपी-2024-25-04 **कार्य का नाम**: टीआरडी वर्क इन कनेक्शन विथ प्रपोज्ड लूप लाईन -5 एट भांवसा यार्ड इन जयपुर-मदार सेक्शन ऑफ जयपुर डीविजन। **अनुमानित लागत (रू.)** : 2,74,12,742.22 **बिड सिक्युरिटि राशि (रू.)** : 2,87,100.00 **निविदा खोलने की तिथि** : 06.11.2024 **नोट** : **ई-निविदा की अंतिम तिथि एवं समय** : निविदा खोलने की तिथि को 15.00 बजे तक **ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय** : निविदा खोलने की तिथि को 15.00 बजे बाद **सम्पूर्ण जानकारी के लिये वेबसाइट का पता** : http://www.ireps.gov.in
1194-DR/24
हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

आम सूचना
मेरी अभिभाष्या श्रीमती अर्चना कंवर पत्नि श्री युधिष्ठर सिंह निवासी-जयपुर द्वारा एक सम्पत्ति प्लाट सख्या-सी-158 का विभाजित उत्तरी हिस्सा पूर्व मुखी आवासीय योजना नारायण सिटी, ब्लॉक-सी, हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज निर्मितशुदा 1000 वर्गफीट सहित सम्पत्ति मालिक श्रीमती मधुबाला सुपुत्री श्री भागचन्द उबाना पत्नि श्री निरंजन सैनी से जरिये इकरारनामा क्रय किया है। यदि किसी आम, साख व संस्था को इस बैचान बाबत कोई आपत्ति, उज है तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सात दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है सात दिवस के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति या उज्ज मान्य नहीं होगा।
सूचित रहे। भवदीय
गोपाल ताखर (एडवोकेट)
दिनांक : 24.09.2024 मो. 9314626181

जयपुर विकास प्राधिकरण www.jda.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांकः जविप्रा/जोन-9/ 2024/डी-8147 दिनांक: 15.10.2024
प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तनः जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा की योजना सैक्टर-36 में स्थित 160 फीट सैक्टर व्यावसायिक भू-पट्टी के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस.सी.-05, एस.सी.-06 की लीजडीड श्री रघुनाथ पुत्र श्रीगंगाराम गुर्जर के नाम से दिनांक 27.9.2012 को जारी की गयी है। तत्पश्चात जोन कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक डी-7084 दिनांक 10.7.2024 को भूखण्ड संख्या एस.सी.-05 एवं भूखण्ड संख्या एस.सी.-06 पूर्वीभाग, क्षेत्रफल 480.00 वर्ग मीटर का पुर्नगठन कर उपविभाजन पत्र श्री रघुनाथ पुत्र श्री गंगाराम गुर्जर के नाम से जारी किया गया है। उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार पूर्वी दिशा की ओर भूखण्ड संख्या एस.सी-6, दक्षिण दिशा की ओर अन्य भूमि, पश्चिमी दिशा की ओर 12 मीटर सडक एवं उतरी दिशा की ओर 48 मीटर रोड स्थित है। प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर प्लान 2025 के अनुसार व्यावसायिक है एवं ZDP के अनुसार 48 मीटर सडक पर स्थित है।
जविप्रा द्वारा नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के बिन्दु संख्या-2 के उपबिन्दु संख्या-IV के क्रम में उक्त पुर्नगठित भूखण्ड का भू-उपयोग परिवर्तन व्यावसायिक से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।
अतः किन्ही दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों मे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू-उपयोग उपान्तरण के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति/ सुझाव हो तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय मे प्रस्तुत कर सकते है। यह विज्ञप्ति आज दिनांक 15.10.2024 को जारी की गयी। **उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर**

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1085 दिनांक-14.10.2024
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 124/217 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 51.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री ओम प्रकाश दायमा पुत्र श्री ग्यारसी लाल दायमा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 8377 दिनांक 31.03.1993 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 10.05.1999 को प्राप्त कर लिया गया था। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 12.04.2021 के द्वारा श्री ओमप्रकाश दायमा पुत्र श्री ग्यारसी लाल दायमा के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 30.06.2021 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री ओमप्रकाश दायमा की मृत्यु दिनांक 30.11.2023 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी/पुत्रान श्रीमती छोटी देवी, श्री सुरेन्द्र दायमा, श्री सुनिल दायमा, श्री अनिल दायमा एवं श्री संदीप दायमा के द्वारा मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती छोटी देवी, श्री सुरेन्द्र दायम, श्री सुनिल दायमा, श्री अनिल दायमा एवं श्री संदीप दायमा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई निविदा सूचना
मंडल रेल प्रबंधक (कै व वै) जयपुर उ.प.रे. भारत के राष्ट्रपति महोदय एवं उनकी ओर से खुली ई-निविदा संख्या-M-443-6-Activity based -FL-1 जिसकी बंद होने की तिथि 06.11.24 समय 15:00 बजे तक का है, के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कोई भी मैन्युअल टेन्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा ओर अगर कोई मैन्युअल टेण्डर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। **कार्य का नाम व स्थान** : Activity based Outsourcing work for housekeeping, rake examinations and ROH activities at Phulera wagon care complex/depot & yard Examination at Alik MNDV for a period of two years. **अनुमानित लागत** :रु. 107107278.54/- (मात्र दस करोड़ इकत्तर लाख सात हजार दो सो अठत्तर रूपये चौवन पैसे) **बिड सिक्यूरिटी**: रु. 685600.00/- (मात्र छः लाख पिच्यासी हजार छः सौ रु.) **ई-निविदा की अंतिम दिनांक और समय** : दिनांक 06.11.24 समय 15.00 बजे तक **ई-निविदा खोलने की दिनांक और समय** : दिनांक 06.11.24 समय 15.30 बजे तक **वेब साईट का विवरण** : www.ireps.gov.in
1190-DR/24
हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे
यांत्रिक कार्य के लिए
ई-निविदा सूचना वर्ष 2024-25
1.कार्य का नाम स्थान अवधि : Upgradation of OASIS made Bio-Vacuum Hybrid Toilets (BVHT) of LHB coaches with PMC and AMC first year, Second year, and Third year, NWR Zone, 4 years **2. कार्य की अनुमानित लागत** : 10,62,72,688.00 **3. बयाना राशि जो जमा कराना है।** : रू. 6,81,400.00 **4. टेण्डर प्रस्तुत करने एवं टेण्डर खुलने का समय व दिनांक** : 12.00 बजे, दिनांक **02.11.2024** तक through E-tendering online submission on IREPS, उसी दिन तत्पश्चात् खोली जायेगी । **5. वेबसाईट विवरण एवं सूचना पट्ट का स्थान जहां से टेण्डर की पूर्ण जानकारी देखी जा सके।** : http://www.ireps.in कैववे सूचना पट्ट पर **NOTE**: The offer can only be accepted through E-Tendering on the website of https://www.ireps.gov.in/, Offer in any other form will not be accepted. The tenderer/bidders must have Class-III Digital Signature Certificate & must be register on IREPS portal. Only registered tenderer/bidders can participate on e-Tendering. All relevant paper must be uploaded at the time of participating in e-Tendering
1192-DR/24
हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महाद्वितीय
दिव्यामाला सक्सैना विरूद्ध भारतीय स्टेट बैंक
वाद/प्रार्थना पत्र उत्तराधिकार
प्रार्थना-पत्र संख्या - 232/सन् 2023
नाम राजेश मणी सक्सैना पुत्र स्व. श्री दिनेश चन्द्र सक्सैना पता प्रार्थी की पुत्री दिव्यामाला सक्सैना द्वारा उत्तराधिकार प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।
उक्त ... ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 08 माह 11 सन् 2024 को 10.30 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 08 माह 10 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
मोहर अदालत
आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(ऑर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अति.व.सि.न्या.एवं अ.मु.न्या.मजि.-09 मुकाम जयपुर महा. IInd, आमेर
श्रीमती मैम व अन्य बाबत् इस्माईल व अन्य
दावा बाबत निरस्त किये जाने विक्रय पत्र व हकत्याग
मुकद्दमा नम्बरCIS No. 28 सन् 2021
बनाम:- मुसम्मी 1. निलोफर पुत्री अ. सईद पत्नी मो. शकील कौम मुसलमान साकिन कागजी मोहल्ला, परगना सांगानेर, जयपुर,2. तबस्सुम पुत्री अ.सईद पत्नी मो. हुसैन कौम मुसलमान साकिन लूनीयावास P.S. परगना खो-नागोरियान, जयपुर (राज.), 3. संजीदा बानो पुत्री स्व. अ. सईद कौम मुसलमान साकिन बागर के पास, बाबू का टीबा, परगना, रामगंज, जयपुर, 4. शबनम खानम पुत्री स्व. अ. सईद कौम मुस्लिम साकिन कोहिनूर सिनेमा के पास, परगना सांगानेर, जयपुर (राज.) चूंकि वादिया ने इस अदालत में तारीख .... माह... सन् 199... को श्रीमती मैम व अन्य बनाम 2. इस्माईल व अन्य (अ.सईद) दायर को जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि वादिया मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने को आप मुतवफ्फी अ. सईद मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3. कायम मुकाम बनाये जावें। लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जबावदेही 16 माह 10 सन् 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर हाजिर न होने मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... माह... सन् को जारी किया गया।
आज्ञा से
सहरिश्तेदार/ रीडर
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्र.सं.- 09 जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय आमेर
मुहर

उत्तर पश्चिम रेलवे **आवश्यक सूचना**
सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि फाटक संख्या-217 (टोंक फाटक) जयपुर-गांधीनगर के मध्य रेल पथ मरम्मत के लिए **दिनांक 16.10.2024 रात्रि 20.00 बजे** से **दिनांक 18.10.2024 को सुबह 06.00 बजे** तक बन्द रहेगा, असुविधा के लिए खेद है।
1199-DR/24 वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (मुख्यालय),जयपुर
हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

कार्यालय ग्राम पंचायत बसई नबाब, पंचायत समिति सैपऊ(धौलपुर)
क्रमांक/ग्रा.प./ई.नि.नि.सा./2024/529-36 दिनांक: 14.10.2024
ई-निविदा सूचना 04/2024-2025
ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में महानरेगा एवम् ग्रामीण विकास एवम् पंचायतीराज की विभिन्न योजनाओं के तहत सम्पूर्ण वर्षवार स्वीकृत निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री आपूर्ति अनुमानित लागत लगभग 60.00 लाख के लिये सक्षम श्रेणी के पंजीकृत फर्मों से ऑनलाइन ई-निविदा दिनॉक 23.10.2024 को समय 10:00 एएम तक आमंत्रित की जाती है, जिसका UBN No. ZDH2425GLRC00461 है। विस्तृत विवरण https://.sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।
सरपंच, ग्राम पंचायत बसई नबाब, पं.स. सैपऊ जिला धौलपुर
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बसई नबाब, पं.स. सैपऊ जिला धौलपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत मानपुर, पंचायत समिति सैपऊ(धौलपुर)
क्रमांक/ग्रा.प./ई.नि.नि.सा./2024/18-23 दिनांक: 14.10.2024
ई-निविदा सूचना 01/2024-2025
ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में महानरेगा एवम् ग्रामीण विकास एवम् पंचायतीराज की विभिन्न योजनाओं के तहत सम्पूर्ण वर्षवार स्वीकृत निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री आपूर्ति अनुमानित लागत लगभग 50.00 लाख के लिये सक्षम श्रेणी के पंजीकृत फर्मों से ऑनलाइन ई-निविदा दिनॉक 23.10.2024 को समय 10:00 एएम तक आमंत्रित की जाती है, जिसका UBN No. ZDH2425GLRC00460 है। विस्तृत विवरण https://.sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।
सरपंच, ग्राम पंचायत मानपुर, पं.स. सैपऊ जिला धौलपुर
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मानपुर, पं.स. सैपऊ जिला धौलपुर

कार्यालय नगर निगम, कोटा-उत्तर
राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, कोटा
email : nnkota@gmail.com, websites : www.kotamc.org, Ph.: 0744-501903
क्रमांकः ननिको(उ)/निर्माण/2024/678-691 दिनांकः 14.10.2024
-:: निविदा संशोधन सूचना ::-
नगर निगम कोटा उत्तर द्वारा जारी ई-निविदा सूचना संख्या 13/2024-25 आदेश क्रमांक 484-497 दिनांक 24.09.2024 में अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार पुनः संशोधन किया जाता है।

क्र.सं.	विवरण	पूर्व में	संशोधन तारीख
1	निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) निविदा अपलोड करने की तिथि	क्र.सं.-2 से 4 तक 01.10.2024 से 16.10.2024	01.10.2024 से 17.10.2024
2	निविदा/तकनीकी बिड खोलने की तिथि	17.10.2024 (सायं 4.00 बजे)	18.10.2024 (सायं 4.00 बजे)
2	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनिकी बिड परिक्षण के पश्चात्	

शेष यथावत रहेगीं। अधीक्षण अभियन्ता
राज.संवाद/सी/24/6554 नगर निगम, कोटा-उत्तर